फा. सं. 7/48/2012-बीओए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों

महोदय,

विषय: संयुक्त उधार व्यवस्था के संबंध में नीति।

मुझे इस विभाग के दिनांक 31.05.2012 के समसंख्यक पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके साथ संयुक्त उधार व्यवस्था (जेएलए) से संबंधित नीति को परिचालित किया गया है।

2. संघीय सहायता व्यवस्था के तहत उधार देने के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाले मुद्दों की जांच करने के उद्देश्य से और इस नीति में ऐसे सुधार के सुझाव देने कि इससे उधारदाताओं और उन उधारकर्ताओं के हितों की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा हो सके, के लिए इस विभाग द्वारा श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अध्यक्षता में गठित समूह द्वारा नीति का तदनन्तर अध्ययन किया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के पश्चात इस समूह ने बैंकों में जेएलए संबंधी नीति के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर जेएलए संबंधी इस नीति को पुन: तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है।

3. आप इस नीति को बैंक के बोर्ड के समक्ष उपयुक्त कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय

(एम. एम. दौला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23748731

फैक्स: 011-23742207

ई-मेल: boa@nic.in/usboa-dfs@nic.in

संलग्न:यथोक्त

प्रति प्रेषित:- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित सभी निदेशक।

जेएलए (जेएलए) पर संशोधित प्रारूप नीति

पृष्ठभूमि :

1. ऋण वितरण पद्धति में लचीलापन लाने की दृष्टि से तथा ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा देने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्तूबर 1996 में सहायता संघ/बहु बैंकिंग/सामूहिक (सिंडीकेट) व्यवस्थाओं के आचरण के संबंध में विभिन्न विनियामक आदेश वापिस ले लिये गये थे।

2. अब यह सामान्यः रूप से देखा जाता है कि बड़े उधारकर्ता, उधारों के बड़े आकार के कारण और अंशतः अपने परिचालनों में लचीलापन लाने के लिए मियादी ऋण, साथ ही कार्यकारी पूंजीगत सीमाये अंशतः अनेक वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों से उपलब्ध कर रहे हैं।

3. बहुविध बैंकिंग सम्बन्धों वाले अधिकतर बड़े उधारकर्ताओं की प्रत्येक उधारदाता संस्थान के साथ स्वतंत्र व्यवस्था है, प्रत्येक संस्थान को प्रदत्त प्रतिभूति अलग है और उसी उधारकर्ता को वित्तपोषण करने वाले विभिन्न उधारदाताओं के बीच कोई औपचारिक सहमति नहीं होती है। इसके अलावा, उधारदाता आमतौर से भिन्न-भिन्न निबन्धनों व शर्तों पर ऋण/सीमायें मंजूर करते हैं। यह व्यवस्था हालांकि, ऋण अनुशासन के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि उधारदाता द्वारा किसी ग्राहक के सम्पूर्ण परिचालनों का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है और ऋण आवश्यकताओं की समग्रता में निर्धारण और निगरानी भी की जानी चाहिए।

4. सहायता संघ/बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के आचरण से सम्बन्धित विनियामक आदेशों के वापिस लेने के बाद कुछ अधिक राशि की धोखाधडी के मामले सामने आने की पृष्ठभूमि में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य प्राधिकरणों ने खेद व्यक्त किया और विभिन्न उधारदाता संस्थानों के बीच उधारकर्ताओं के ऋण के इतिहास और खाते के आचरण के बारे में मुख्यतः प्रभावी जानकारी साझा करने की कमी को ऐसे धोखाधडी के मामलों के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इसने भा.रि.बैंक को आईबीए के साथ परामर्श कर मामले की जांच करने के लिए अग्रसर किया और यह निर्णय लिया गया कि उधारकर्ता के बारे में बैंकों के बीच सूचना सांझा करने/प्रचारित करने में सुधार लाने के आवश्यकता है। तदनुसार, भा.रि.बैंक द्वारा बहुविध बैंकों के साथ उधार सुविधाओं को ले रहे उधाकर्ताओं के बारे में उनके सूचना बैकअप को मजबूत करने के लिये बैंको को दिनांक 10.02.2009 के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे। यद्यपि, यह व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि धोखाधडी के मामले प्रकाश में आने जारी हैं।

5. उपर्युक्त के अलावा, सहायता संघ व्यवस्था में कुछ अन्य बड़े फन्दे निम्नवत् पाये गये :-

1) सदस्य बैंकों के बीच विशेषरूप से निम्न के बारे में संबद्धता और पारदर्शिता की कमी

- खातों के आचरण, आईआरएसी स्थिति के बारे में समय से पूर्ण जानकारी शेयर करना/परस्पर देना

- अधिदेशानुसार नियमित आधार पर तिमाही सहायता संघ बैठकों का आयोजन करना

- महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि खातों की स्थिति, खातों में बकाया शेष, अतिदेय, परिचालन, लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, तदर्थ सीमाओं की मंजूरी, संघ से बाहर बैंक के साथ उधारकर्ता के लेन-देन व्यवहार, उधारकर्ताओं के संबंध में प्रतिकूल समाचार/सूचनायें इत्यादि पर बैठकों में चर्चा नहीं होती ।

- अग्रणी बैंक द्वारा उपयुक्त मूल्यांकन और निर्धारण

-

2) ऋण आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग, मंजूरी, प्रलेखीकरण इत्यादि में अनावश्यक विलम्ब से प्रोजेक्ट में विलम्ब और लागत में आधिक्य हो जाता है ।

3) समुचित सावधानी की कमी, क्योंकि अधिकतम बैंक उधारकर्ताओं द्वारा दिये गये प्रकटनों से मार्गदर्शित होते हैं और स्वतंत्र रूप से पूछताछ नहीं करते ।

4) खाते के संबंध में सहायता संघ अग्रणी/सदस्य बैंकों द्वारा अत्यावश्यक सूचना रोक रखना, जो अन्य बैंकों के हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है ।

5) सभी सदस्य बैंकों द्वारा परस्पर करारों को न स्वीकारना, जो किसी भी संघीय व्यवस्था की रीढ होती है, अथवा कुछ सदस्य बैंकों द्वारा एक पक्षीय संशोधन/किये गये जोड/घटा अथवा सभी निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करना/प्रत्येक सदस्य बैंक के दायित्व, करार को बोझिल बना देते हैं ।

6) सदस्य बैंकों के बीच अधिकाधिक कारोबार हथियाने की हानिकर प्रतिस्पर्धा, बेहतर ब्याज दर, मार्जिन छूट, प्रोसेसिंग प्रभारों इत्यादि की पेशकश देना

7) संघीय अनुमोदनों और जानकारी के बिना गैर-सदस्य बैंकों द्वारा तदर्थ सीमाओं की मंजूरी, जिससे अधिक वित्त पोषण हो जाता है और फलस्वरूप अपवर्तन होता है ।

8) इन सब के ऊपर अनेक विषयों/अनुरोधों पर निर्णय लेने के लिये स्वत: बनाई गई समय सीमा अथवा किसी अधिदेश के पूर्ण अभाव में, होने वाला विलम्ब उधारकर्ताओं पर हानिकारक प्रभाव डालता है ।

9)

6. दूसरी ओर, बहुविध बैंकिंग के मामले में हितधारकों (जोखिम उठाने वालों) के बीच शायद ही कोई उधार अनुशासन है ।

7.

8. उधारकर्ताओं में अपेक्षित वित्तीय अनुशासन मन में बिठाने की दृष्टि से तथा ऋण मामलों में सूचित निर्णय लेने के लिए वित्तपोषण करने वाले बैंकों को सक्षम बनाने के लिए डीएफएस द्वारा मई, २०१२ में जेएलए पर एक नीति तैयार की गई और सार्वजनिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों को परिचालित की गई ।

9. संयुक्त उधार के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए जेएलए पर शासी मूलभूत नियमों को रेखांकित करने के लिए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग ने श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में दिनांक २८ अगस्त, २०१२ को आदेश संख्या

7/129/2012-बीओए के तहत एक समूह (ग्रुप) का गठन किया गया। ग्रुप के अन्य सदस्य बैंक आफ बड़ोदा, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक तथा भारतीय बैंकिंग संघ के सीईओ थे।

10. ग्रुप ने जेएलए व्यवस्था के अंतर्गत उधार के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ग्रुप द्वारा तैयार रूपरेखा सहित प्रारुप रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) को प्रस्तुत की। डीएफएस द्वारा रिपोर्ट की परीक्षा की गई और तदनुसार इस ग्रुप के सुझावों को सम्मिलित करते हुये, जेएलए नीति पर विस्तृत और संशोधित प्रारुप दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं।

<u>जेएलए पर नीति</u>
<u>जेएलए (जेएलए) का निर्माण</u>

11. यह योजना एक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के संलिप्त होने पर रूपये 150 करोड़ और इससे राशि की कुल ऋण सीमाओं (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) के साथ एकल उधार कर्ता के साथ सभी उधार व्यवस्थाओं पर लागू होगा। ऋण राशि की परवाह किये बगैर, सभी गैर निवेश श्रेणी के उधारकर्ता (बीबीबी से नीचे ईसीआर अथवा समकक्ष)
12. बैंक/सहायता संघ को मल्टी-डिवीजन/मल्टीप्रोडेक्ट कंपनियों वाले उधारकर्ताओं को एक एकल ईकाई के रूप में समझना चाहिये जब तक कि उनका प्रकाशित तुलन-पत्र एक से अधिक न हो। इसी प्रकार, विलय के मामलों में, विलय हुई इकाईयों को एक एकल इकाई के रूप में समझा जाना चाहिये। विभाजन के मामले में, विभक्त इकाईयों के एक पृथक् उधारखातों के रूप में समझा जाना चाहिये बशर्ते कि प्रकाशित तुलनपत्र एक से अधिक हो।

13. जेएलए आकार को नियन्त्रणीय रखने के लिए रूपये 1000 करोड के अंतर्गत सकल कार्यकारी पूंजीगत ऋण (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) हेतु एक सदस्य का न्यूनतम शेयर सकल कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं का 10 प्रतिशत अवश्य होना चाहिये। रूपये 1000 करोड और अधिक के कार्यकारी पूंजीगत ऋण हेतु कार्यकारी पूंजीगत जेएलए में न्यूनतम भागीदारी कम से कम रूपये 100 करोड होनी चाहिए।

14.

15. किसी उधारकर्ता को दिये गये मियादी ऋण में भागीदारी करने वाले बैंकों को सामान्यतया कार्यकारी पूंजीगत वित्त पोषण भी दिया जाये। तथापि, यदि अभीष्ट हो तो अन्य बैंक भी कार्यकारी पूंजीगत वित्त प्रदान कर सकते हैं किन्तु उपबंध यह है कि इन दिशानिर्देशों में निहित अन्य शर्तों की अनुपालना हो। उस सीमा तक, कार्यकारी पूंजीगत जेएलए को सुस्पष्ट किया जा सकता है और मियादी उधार समूहन/व्यवस्थाओं से पृथक किया जा सकता है।

14. बड़े प्रोजेक्ट के मामले में प्राय: मियादी ऋण के रूप में ऋण राशि की मात्रा एक से अधिक बैंकों द्वारा सिंडीकेशन व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त वित्त पोषण के लिए विवश करती है। ऐसे मामलों

में भागीदार बैंक अपने मूल्यांकन के प्रयोजन से अग्रिम बैंक/उप समिति द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट का या प्रोजेक्ट का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करते हैं।

15. जेएलए के सदस्यों/बहुविध बैंकर्स द्वारा उधारकर्ता को ऋण सुविधाएं स्वीकृत करते समय विभिन्न ऋण आसूचना कंपनियों जैसे सिबिल से उधारकर्ता पर साख रिपोर्ट को हमेशा देखा जाए।

<u>जेएलए लागू करना</u>

16. नये उधारकर्ता - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ऊपर दिए गए मानदंडों के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं को बहुविध बैंकों से मियादी ऋण, कार्यशील पूंजी एवं गैर निधि आधारित सुविधाओं के रूप में संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना अनिवार्य है। बैंक जिनसे उधारकर्ता ने अधिक ऋण की मांग की है या सदस्य बैंकों की परस्पर सहमति से कोई अन्य बैंक जेएलए के लिए अग्रिम बैंक नामित होगा।

17. विद्यमान उधारकर्ता - उन उधारकर्ताओं के मामले में जो वर्तमान में ऊपर उल्लिखित मानदंडों के अंतर्गत बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के तहत आते हैं, बैंक जिसने अधिकतम ऋण दिया है या सदस्य बैंकों की परस्पर सहमति से कोई अन्य बैंक, जेएलए का लीडर बन जाएगा और बैंकों द्वारा नीति अपनाने की तिथि से 3 (तीन) माह के अंदर सभी वित्तपोषण करने वाले बैंकों की बैठक बुलाने की पहल करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसके बाद औपचारिक जेएलए 3 (तीन) माह के अंदर स्थापित हो गयी है। अत: ऐसे सभी ऋण नीति अपनाने के 6 (छह) माह के अंदर जेएलए के अंदर लाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन उधार खातों के मामले में जो ऊपर उल्लिखित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधित बैंक जेएलए का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

18. बड़ी हुई सीमाएं मांगने वाले विद्यमान उधारकर्ता- उन उधारकर्ताओं के मामले में जो एक से अधिक बैंकों से निर्धारित प्रारंभिक सीमा से नीचे सकल ऋण सीमाएं प्राप्त कर रहे हैं जहां और आगे वृद्धि से सकल सीमाएं प्रारंभिक सीमाओं को पार कर जाएंगी, उन पर संबंधित वित्त पोषण करने वाले बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जाना चाहिए और बैंक जो सीमा का अधिकतम हिस्सा देता है या सदस्य बैंकों द्वारा परस्पर सहमति से कोई अन्य बैंक औपचारिक रूप से लीडर बैंक माना जाएगा।

19. विद्यमान संघीय व्यवस्था - उधारकर्ता जिसकी परिभाषित प्रारंभिक सीमा से नीचे पहले ही औपचारिक संघीय व्यवस्था है वे निरंतर ऐसी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे। सिंडीकेट में अग्रिम बैंक को न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सहऋणकर्ताओं की सहमति के बिना अपना हिस्सा कम नहीं करना चाहिए या कम मूल्य पर बेचना नहीं चाहिए।

जेएलए में शामिल किए जाने वाले संस्थान

20. एक उधारकर्ता के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने बैंक (बैंकों) का चयन करने का विकल्प होगा और ऐसे ही बैंकों के पास उधारकर्ता पर ऋण देने का निर्णय लेने का विकल्प होगा।

21. उन उधारकर्ताओं के मामले में जो बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक एवं प्राइवेट बैंकों दोनों से ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संयुक्त उधार समूह बनाना चाहिए और नीति में बताई गई शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार प्राइवेट बैंकों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहिए तथा विमुखता के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आगे आना चाहिए और अपने बीच स्वयं ही संयुक्त उधार समूह बनाना चाहिए।

22 उन उधारकर्ताओं के मामले में जिन्होंने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान से या तो एकल रूप से या बैंक (बैंकों के साथ) संयुक्त रूप से मियादी ऋण लिया है, उस एएफआई को संयुक्त उधार समूह के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा तथा उस पर संयुक्त उधार को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियम लागू होंगे।

जेएलए की शर्तें एवं निबंधन

23. एकल उधारकर्ता या उधारकर्ताओं के 'समूह' को बैंक ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा, जो अब तक है, तथा बैंक बिना आवश्यक अनुमोदन के उन्हें लागू विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाओं को पार नहीं कर सकते।

24. उप-समिति

यह महसूस किया गया है कि जेएलए के अंतर्गत ऋण प्रदान करने को प्रभावशाली बनाने की मूलभूत आवश्यकता है कि सुनिश्चित किया जाए कि जेएलए पर लागू मानदंड सभी सदस्य बैंकों एवं उधारकर्ताओं द्वारा समय अनुसार स्वीकार किये जाते हैं। वित्त पोषण करने वाले बैंकों की विविधता को देखते हुए मसलों पर सहमति के लिए एक तंत्र आवश्यक है। अपितु, उधारकर्ता के लिए एक ही समय कुछ विशेष कार्य करवाने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक दौड़ना कठिन होता है जैसे कि अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना इत्यादि। तदनुसार, यह प्रस्तावित किया जाता है कि

क) जेएलए के प्रारंभिक सृजन/निर्माण के समय, न्यूनतम 2 सदस्य बैंकों को शामिल करके जिनका संयुक्त कुल ऋण जोखिम 50% से कम न हो, मूल्यांकन संबंधी सभी मामलों, आय बांटने और खातों की निगरानी के लिए निर्णय लेने हेतु उप समिति बनाई जाए।

ख) उप समिति का अस्तित्व एवं भूमिका प्रलेखीकरण के समय परस्पर अनुबंध में औपचारिक रूप से दी जानी चाहिए।

ग) उप समिति में निर्णय सहमति द्वारा लिया जाएगा। उप समिति का निर्णय जेएलए के सभी सदस्यों पर बाध्य होगा।

घ) उप समिति में भाग लेने के लिए सदस्य बैंकों द्वारा नामित अधिकारी पर्याप्त उच्च स्तर जैसे कि उप महाप्रबंधक एंव ऊपर होंगे।

ड.) चूंकि उप-समिति में निर्णय सहमति द्वारा लिया जाएगा, उप समिति सदस्यों से अपेक्षित होगा कि वे उप समिति का निर्णय सूचित करने से पूर्व अपने संबंधित आंतरिक अनुमोदन प्राप्त कर लें।

च) उप-समिति के सदस्य संगत नोट/दस्तावेज़ के परिचालन/या व्यक्तिगत रूप से बैठक/ऑडियों कॉनफ्रेंस/वीडियो कॉनफ्रेंस के माध्यम से निर्णय पर पहुंच सकते हैं। वास्तव में, संयुक्त उधार समिति की बैठक बुलाकर बैंक प्रतिनिधियों को किसी विशिष्ट समय और स्थान पर एकत्र होने (या यात्रा को) के अभ्यास को हतोत्साहित करना चाहिए।

छ) उप समिति को भेजे गए मामलों पर अधिकतम 30 दिनों (उप समिति स्तर पर 10 दिन और उच्च स्तर पर 20 दिन) में अवश्य निर्णय लिया जाना चाहिए।

ज) उप समिति जेएलए की ओर से किसी भी प्रयोजन से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए अधिकृत है।

25. बढ़ोतरी

विद्यमान सदस्य बैंक अपने ऋण जोखिम के अनुपात में अतिरिक्त आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। यदि किसी बैंक को नीति मामलों या ऋण जोखिम सीमाओं/विवेकपूर्ण मानदंडों के कारण अतिरिक्त ऋण जोखिम लेने में कठिनाई होती है तब उसका हिस्सा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अन्य जेएलए के सदस्य को ऑफर कर दिया जाएगा। यदि कोई भी सदस्य बैंक हिस्सा लेने की स्थिति में नहीं है तो मौजूदा सदस्य बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करके बढ़ा हुआ हिस्सा लेने का इच्छुक नया लीडर शामिल किया जा सकता है। उप समिति आवश्यकता का केवल तभी परीक्षण करेगा यदि लागत का बढ़ना महत्वपूर्ण हो।

26. तदर्थ सुविधा

उधारकर्ता की आकस्मिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमाओं की स्वीकृति/नवीकरण के समय एफबी + एनएफबी के अधिकतम 10% की अपफ्रंट तदर्थ सुविधा स्वीकृत की जाएगी। तदर्थ सीमा सहित ऋण के लिए प्रलेखीकरण निष्पादित किया जाएगा। तदर्थ सीमाएं जेएलए के सदस्यों द्वारा उनके शेयरिंग स्वरूप के अनुपात में बांटी जाएंगी। लघु तदर्थ आवश्यकता के मामले में, इसे एक ऋणदाता से तदर्थ सीमाओं के विभाजित हिस्से के अंदर प्राप्त किया जाएगा। उप-समिति इसके विवरण एवं तौर तरीके निश्चित करेगी। उप समिति आवश्यकता का केवल तभी परीक्षण करेगी यदि लागत का बढ़ना महत्वपूर्ण हो। मौजूदा बैंक अपने ऋण के अनुपातानुसार अतिरिक्त आवश्यकता का ध्यान रखेंगे।

27. प्रसंस्करण समय-

यह आवश्यक है कि अग्रणी बैंक और सदस्य बैंक/संस्था यह सुनिश्चित करें कि औपचारिक संयुक्त उधार व्यवस्था के कारण ऋण देने में कोई विलंब नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव के संबंध में उधार ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए 90 दिनों के भीतर व्यवस्था के तालमेल के लिए उप-समिति सभी प्रयास करेगी।

प्राय: आंकड़े उपलब्ध न होने अथवा गलत आंकड़े देने अथवा अपेक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त न होने के कारण बैंक विनिर्धारित समय में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इन आंकड़ों/विवरणों में अन्यों के साथ, पिछले दो/तीन

वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, चालू और आगामी वर्षों के लिए क्रमश: अनुमानित और संभावित परिणाम शामिल होते हैं। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्राप्ति के लिए उधारकर्ता द्वारा औसतन कम से कम छ: महीने का समय लेना अपेक्षित है प्राय: इतना समय नहीं लिया जाता है। इन सभी पहलुओं और उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विचार करते हुए उपलब्ध ऋण प्रस्तावों और वे आवेदन/प्रस्ताव जो अपेक्षित वित्तीय और परिचालनात्मक विवरणों द्वारा समर्थित अपेक्षित विवरणों/सूचना सहित प्राप्त होते हैं के औपचारिक निपटान के लिए निम्नलिखित अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की जाती है:

(i) नई/बढ़ाई गई ऋण सुविधाओं (निर्यात ऋण सहित) के लिए मंजूरी:

अग्रणी बैंक द्वारा अपेक्षित वित्तीय और परिचालनात्मक विवरणों द्वारा समर्थित अपेक्षित ब्यौरे/सूचना सहित प्राप्त हुए आवेदनों/प्रस्तावों की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(1) अग्रणी बैंक/उप-समिति द्वारा मूल्यांकन-35 दिन,

(2) जेएलए बैठक के आयोजन के पश्चात अग्रणी बैंक द्वारा प्रारूप मूल्यांकन टिप्पणी का परिचालन– 10 दिन; और

(3) अग्रणी बैंक/उप-समिति के प्रस्ताव सहित जेएलए टेलीस्कोपिंग में सदस्य बैंकों द्वारा मंजूरी – 45 दिन

(ii) मौजूदा स्तर पर (निर्यात ऋण सहित) ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए:

अग्रणी बैंक द्वारा अपेक्षित वित्तीय और परिचालनात्मक विवरणों द्वारा समर्थित अपेक्षित ब्यौरे/सूचना सहित प्राप्त हुए आवेदनों/प्रस्तावों की तारीख से लेकर 45 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(1) अग्रणी बैंक/उप-समिति के द्वारा मूल्यांकन- 20 दिन

(2) जेएलए बैठक के आयोजन के पश्चात अग्रणी बैंक द्वारा प्रारूप मूल्यांकन टिप्पणी का परिचालन– 10 दिन; और

(3) संघ में सदस्य बैंकों द्वारा मंजूरी- 15 दिन

उन मामलों में जहां बैंक/जेएलए ऋण आवेदनों/प्रस्तावों के निपटान के लिए संस्तुत अधिकतम समय-सीमा का पालन करने में असमर्थ होते हैं, उधारकर्ता एक जेएलए/सिंडीकेट, का गठन करने/शामिल होने के लिए नए बैंक लाने अथवा नया बैंक बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा की मंजूरी के पंद्रह दिनों के भीतर, ऐसे नए बैंकों को मौजूदा जेएलए नियमित बैंक/(कों) को सूचित करना चाहिए और 'अनापत्ति' प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना संवितरण नहीं करना होगा। यदि अगले पैन्तालीस दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता तो ऐसे मामलों में, ऐसा माना जाएगा कि मौजूदा जेएलए/नियमित बैंक/(बैंकों) को नए बैंक/(बैंकों) द्वारा जेएलए में शामिल होने/बनाने में कोई आपत्ति नहीं है।

28. अग्रणी बैंक शुल्क–

संयुक्त उधार व्यवस्था बनाने और संयुक्त उधार समूह की बैठकों की मेजबानी के लिए अग्रणी उधारदाता को कुल उधार पर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) क्षतिपूर्ति के रूप में उपयुक्त वार्षिक शुल्क लगाने की अनुमति दी जाएगी। दी गई विभिन्न सेवाओं हेतु अग्रणी बैंक उपयुक्त वार्षिक शुल्क प्रभारित कर सकता है जो उधारकरर्ता द्वारा वहन किया जाना है। इसे उप-समिति द्वारा निधारित किया जाएगा।

29. मूल्य-निर्धारण-

अब तक, मूल्य-निर्धारण को छोड़कर ऋण सुविधाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निबंधन एवं शर्तें, जिन्हें जेएलए द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, सभी सदस्य बैंकों द्वारा समानरूप से लागू की जानी चाहिए। इसलिए, किसी भी सदस्य बैंक को दण्ड स्वरूप लगाए गए ब्याज को माफ करने अथवा इकतरफा निर्धारित मार्जिन को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

(1) अब तक, मूल्य-निर्धारण को छोड़कर ऋण सुविधाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निबंधन एवं शर्तें, जिन्हें जेएलए द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, सभी सदस्य बैंकों द्वारा समान रूप से लागू की जानी चाहिए। इसलिए, किसी भी सदस्य बैंक को दण्ड स्वरूप लगाए गए ब्याज को माफ करने अथवा इकतरफा निर्धारित मार्जिन को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

(2) गैर-निधि आधारित व्यवसाय के समान सहभाजन को निधि आधारित ऋण जोखिम के समान अनुपात में सुनिश्चित करना है। उप-समिति आवधिक अंतरालों पर व्यवसाय के सहभाजन और प्रभार की समीक्षा करेगी जैसे कि मासिक आधार पर रिपोर्ट देगी।

(3) सभी सदस्य बैंकों को अपनी शुल्क की अनुसूची के आधार पर प्रसंस्करण और निरीक्षण शुल्क लगाने की अनुमति होगी। प्रलेखन सांझा होगा और इसलिए एक सांझा स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(4) यदि उधारकर्ता असहमत है तो उसे बैंक(बैंकों) के स्थानापन्न अथवा इक्ट्ठे अन्य जेएलए बनाने की स्वतंत्रता है।

(5) तथापि, 'बीमार'और कमजोर इकाईयों को दी गई/दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई/की जाने वाली वर्तमान दिशा-निर्देशों के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा।

30. आस्ति वर्गीकरण-

(1) चूंकि सभी उधारकर्ताओं के लिए प्रतिपक्षकार एक ही है अत: सभी उधारदाताओं के बीच उधारकर्ता की स्थिति भी एक समान ही होगी अर्थात यदि उधारकर्ता का कोई भी खाता जेएलए उधारदाताओं के किसी भी खाते सहित एनपीए में परिवर्तित हो जाता है तब जेएलए में सभी उधारदाता उधारकर्ताओं के खातों को एनपीए ही मानेंगे। इससे उधारकर्ता के हाथों में अनावश्यक लिवरेज रूकेगी तथा यह उधारकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता के पूर्व समाधान को प्रोत्साहित भी करेगा।

(2) तकनीकी कारणों अर्थात स्टॉक विवरणियों को प्रस्तुत न किया जाना, सुविधाओं की समीक्षा न किया जाना आदि के कारण आईआरएसी की स्थिति उधारदाताओं के पास एनपीए बनते जा रहे हैं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऋण प्रशासन के मुद्दों के निवारण के लिए उप-समिति केन्द्र-बिन्दु एजेन्सी होगी।

31. एनपीए की वसूली-

जेएलए के पास सांझा प्रलेखीकरण और सांझा आस्ति वर्गीकरण होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जेएलए के वसूली प्रयास भी सांझा होंगे और सभी सदस्य बैंकों के देय के सम्बंध में समस्त दृष्टिकोण को अपनाएंगे। इन देयों की वसूली

के लिए उधारकर्ताओं की आस्तियों का निपटान वित्तीय सेवाएं विभाग के 23 अप्रैल, 2012 के परिपत्र संख्या 23/3/2012-डीआरटी जैसा कि अनुबंध-I में दिया गया है, की अनुपालना करते हुए किया जाएगा।

32. मंजूरी का प्रलेखीकरण और निबंधन और शर्तें-

(क) संयुक्त उधार व्यवसाय के अंतर्गत दस्तावेजों का समूह तैयार किया जाएगा और इसे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा परिचालित किया जाएगा। आईबीए द्वारा अनुमोदित जेएलए दस्तावेज अपनाए जाने चाहिए। मंजूरी की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर प्रलेखीकरण की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

(ख) उधारकर्ताओं के लिए सांकेतिक मूल्य निर्धारण और उनकी अग्रिम सहमति प्राप्त करने सहित निबंधन और शर्तों का उल्लेख करते हुए उप-समिति सैद्धांतिक मंजूरी का एक पत्र उपलब्ध कराएगी।

(ग) निबंधन और अन्य शर्तों के बार-बार संशोधन को कम करने के लिए प्रत्येक संशोधन के लिए कम से कम 5 लाख रु. लागत के रूप में वसूले जाने हैं- सुविधाओं की कार्योत्तर मंजूरी। उधारकर्ता से अपेक्षित सारी सूचनाओं की प्राप्ति के पश्चात उप-समिति 15 दिनों के भीतर इन संशोधनों के अंतिम रूप को निर्धारित करेगी।

किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर निर्णय ऋणी को दिए गए जोखिम में 50% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले सदस्य बैंकों द्वारा लिया जाएगा

33 संघ के बाहर से वित्तपोषण-

1) ऐसे मामले में जब ऋणी एकाधिक उधारदाताओं के एक बैंक से और या एक संयुक्त उधार देने की व्यवस्था/ बहु उधारकर्ताओं से क्रेडिट सीमाओं का उपयोग कर रहा हो जैसा भी मामला हो तब कोई अन्य बैंक ऋणी को मौजूदा की सहमति के बिना कोई अतिरिक्त बैंकिंग सुविधा का विस्तार नही करेगा, अथवाबिल सीमाओं,गारंटी/स्वीकृतियां,साख पत्र इत्यादि मेंकोई विस्तार नाही करेगा.

ब)इसी प्रकार बहु बैंकिंग व्यवस्था/ संघ के अंतर्गत ऋण सीमा का उपयोग कर रहे उधारकर्ताओं के मामले में कोई अन्य बैंक मौजूदा उधारदाताओं /संघ की सहमति के बिना चालू खाता (या खाते के लेनदेन के किसी भी रूप) नही खोलेगा .यदि कोई बैंक मौजूदा कर्जदारों से सहमति के/ अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना इस तरह का खाता खोलता है, तो इस मामले में ऐसे बैंक पर जुर्मानेका नियामक प्रावधान है.

34 स्ट्रेस्ड संपत्ति के मामले में उधारदाताओं के बीच असहमति-

50% से अधिक जोखिम उठाने वाले सदस्य बैंकों के बहुमत का फैसला मान्य होगा

35 निष्पादक परिसंपत्ति से बाहर निकलना-

एक सदस्य बैंक को अपने इंक्रीमेंटल हिस्सा नहीं लेने के लिए अनुमति दी जा सकती है, जबकि यह अपने संघ में शामिल होने की तिथि से कम से कम दो वर्ष की समाप्ति से पहले संयुक्त उधार

व्यवस्था छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती. एक मौजूदा सदस्य बैंक कोदो साल बाद संयुक्त उधार व्यवस्थाछोडने की अनुमति दी जा सकती है यदि कोई मौजूदा सदस्य बैंक और/या कोई नया बैंक इसका अंश प्राप्त कर संघ में शामिल होना चाहता हो। तथापि, इनकार का पहला अधिकार संयुक्त उधार व्यवस्थाके सदस्यों को होगा .

36.स्ट्रेस्ड/अनर्जक परिसंपत्ति से बाहर निकालना-

सदस्यों आमतौर पर स्ट्रेस्ड खातों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है., बाहर निकलने की अनुमति कुछ अपवाद वाले मामलों में हीसभी संयुक्त उधार व्यवस्था सदस्यों के अनुमोदन के द्वारा ही होता है,जिसका निर्णय सदस्य बैंकों द्वारा लिया जाता है।

37 जानकारी का आदान-प्रदान-

मौजूदा निगरानी प्रणालीको समान रूप से सभी बैंकों/वित्तीयसंस्थाओं द्वारा निम्नलिखित के आवधिक प्रस्तुतीकरण द्वारा अपनाया जाना चाहिए-

1) मासिक परिचालन डेटा(एम एस ओ डी) का चयन करें

ब) वित्तीय अनुवर्तीरिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 दिसंबर,2012 को परिपत्र संख्या आर बी आई/2022-23/304 डी बी ओ डी बी पी बी सी संख्या 62/21.04.103/2012-13 जारी करा है जिसमें सभी बैंकों से ऋण,डेरिवेटिव,अनहेज्ड विदेशी मुद्रा जोखिमों के बारे में उनके बीच में जानकारी के आदान-प्रदान के अनुदेशों को सख्ती से पालन करने को कहा है और दिसंबर 2012 अंत तक जानकारी के आदान-प्रदान के संबंध में एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने को कहा है.मौजूदा/नए कर्जदारों को ऋण के ताजा ऋण/ तदर्थ ऋण/ नवीकरण की कोई भी मंजूरी 1,जनवरी,2013 से केवल आवश्यक जानकारी की प्राप्ति/आदान-प्रदान के पश्चात ही प्रदान की जानी चाहिए.

बैंकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जावेगा और वे जुर्माना लगाने सहित कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे.

38. संयुक्त उधार व्यवस्था /एकाधिक ऋण के निर्धारित कोवेनेंट्स/अनुशासन काउल्लंघन को डिफ़ॉल्ट की एक घटना के रूप में माना जावेगा।उल्लंघनों में शामिल होंगे-

-मौजूदा उधारदाताओं की जानकारी के बिना अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त करने का कोई प्रयास

-मौजूदा उधारदाताओंके अतिरिक्त किसी अन्य बैंकों में खाते खोलना अथवा लेनदेन करना

-उप समिति डिफ़ॉल्ट कीकैसी घटनाहै, का निर्णय करेगी

39. फॉरवर्ड ठेके और डेरिवेटिव-

1) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त उधार व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात ऋण उन्ही बैंकों द्वारा दिया जाना चाहिए जो ऋणी कोकार्यशील पूंजी ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। **उधारदाता बैंक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भारतीय रिजर्व**

बैंक द्वारा प्री शिपमेंट ऋणों के बारे मेंजारी दिशा निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है.

ब) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे फॉरवर्ड ठेके और डेरिवेटिव की स्वीकृति के आंकड़ें संयुक्त उधार व्यवस्था के सभी सदस्य बैंकों के साथ आदान-प्रदान कर रहे हैं.

स) संयुक्त उधार व्यवस्था के अग्रणी बैंक को तिमाही आधार पर संबन्धित कॉरपोरेट के चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह कहा और प्रमाणित किया गया हो कि फॉरवर्ड ठेके और डेरिवेटिव का सभी बैंकों से लिया गया बकाया कितना है और यह अंतर्निहित जोखिम से अधिक नही है.

अनुबंध-I

संख्या 23/3/2012-डीआरटी

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

*****

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली 23 अप्रैल, 2013

सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाओं के

मुख्य प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी

विषय: निजी समझौतों के द्वारा अचल रक्षित परिसंपत्तियों **का विक्रय**

महोदय,

मुझे **सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002** का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जो अचल रक्षित परिसंपत्तियों के पूर्ण या उसके किसी अंश के कोटेशन्स/निविदाएँ /सार्वजनिक नीलामी या निजी समझौते आमंत्रित कर विक्रय के संबंध में है| इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसे प्रकरण सामने आए है जहां निजी समझौतों का दुरूपयोग हुआ है| यह भी सूचना मिली है कि अचल रक्षित परिसंपत्तियों के विक्रय निजी समझौतों के द्वारा निर्धारित मूल्य/ नियत मूल्य से भी कम राशि पर किए जा चुके हैं|

2 इस मंत्रालय में ऐसे मुद्दों पर विचार किया जा चुका है और अनुभव किया गया है कि निजी समझौते के विकल्प का सहारा सामान्यत: केवल वहीं लिया जाए जहां अन्य अधिक पारदर्शी पद्धतियाँ -कोटेशन्स प्राप्त करना /निविदाएँ आमंत्रित करना अथवा सार्वजनिक नीलामी इत्यादि सफल नही हुई है| यह भी वांछनीय होना चाहिए कि रक्षित परिसंपत्तियों के निर्धारित मूल्य/ नियत मूल्य के अनुसार अधिक पारदर्शक पद्धतियों से अचल रक्षित परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए दिए जाने वाले अवसरों की एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की जानी चाहिए| यह सलाह दी जाती है कि एक करोड़ रूपये से कम की परिसंपत्तियों के लिए कम से कम एक बार और एक करोड़ रूपये से अधिक की परिसंपत्तियों के लिए कम से कम दो बार ऐसे अवसरों की संख्या निर्धारित की जाना चाहिए| हालांकि, निजी समझौते के विकल्प पर बिना अन्य पद्धतियों का सहारा लिए विचार किया जा सकता है यदि मामले में बैंक/बैंकों के सभी बकाया पूर्णत: वसूल किए जा रहे हो|

3 आगे, जहां बैंकों के बकाया पूर्ण रूप से वसूल नही किए जा रहे हो और निजी समझौते से वसूल की जाने वाली राशि निर्धारित मूल्य/ नियत मूल्य से कम हो , तो निजी समझौते के लिए सक्षम प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर वाले अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए| बैंक यदि उचित समझें तो ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए बैंक के अधिकारियों की एक समिति जिसमें एक महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी प्रधान/कारपोरेट कार्यालय से शामिल हो का गठन कर सकती है|

4 आप से अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों पर इस व्यापक रूपरेखा के अंदर विचार करें और उचित अनुदेशों/दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दें एवं शीघ्र शाखाओं को जारी करें|तदनुसार की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

वी के चोपड़ा,
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23748738